

दिनांक	हुकम या कार्यवाही का विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी / प्रार्थी द्वारा रोही मौजाकिस्तूरिया के खाता संख्या ९ के ख.न. 612/136 रकबा 15 बीघा भूमि को भू-प्रवर्ध विभाग द्वारा सर्वे के दौरान तैयार रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है अतः उक्त रकबा प्रार्थी / वादी के नाम पुनः पूर्व की भांति दर्ज कर नक्शा में तालीम हेतु दुरस्ती का दावा / प्रार्थना पत्र पेश किया वादी / प्रार्थी की उक्त भूमि इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 452 दिनांक 21.06.2019 द्वारा इस प्रकार प्रकरणों में तहसीलदार लूनकरनसर की अभिशंसा पर पुनः पूर्व की भांति जमाबंदी में दर्ज कर नक्शा में तहरीर के आदेश जारी किये जा चुके हैं। अतः इस पत्रावली में कार्यवाही निस्तार रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। लिहाजा पत्रावली इसी स्तर पर निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली इस्तदायरा दाखिल दफतर हो</p>	